

25/11/22

पत्रावली पेश हुई अपीलें रद्द कर शक्यता उनके अधिकता अनुपस्थित। रेटपोस्ट की ओर से शक्यता अधिकता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि प्रकरण में वर्धित पत्रकारानु के मध्य इसी विषय-वस्तु का वाद माननीय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट गरी जिला बांसवाड़ा में विचारणीय है। अपीलें की ओर से दिनांक 22/10/22 को उक्त वाद पत्र/प्राथमिक पत्र की सत्य-प्रतिनिधि मय प्रासिदीग के अन्तर्गत करार है अतः इस न्यायालय में दर्ज प्रकरण की कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्रॉप की जाकर पत्रावली के मध्य शुमार होकर दायित्व दफ्तारी अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली वापस प्रेषित की जावे।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

